मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-11/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर,2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिये अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत करने/भुगतान करने बावत् ।

संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 25/45/99/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 10-9-99.

दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 25/45/99/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 10-9-99 के अनुसार छः माह के वेतन के बराबर तथा अधिकतम ₹ 25,000/- की सीमा तक अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है ।

2/ मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 दिनांक 1-1-2006 से प्रभावशील होने के फलस्वरूप शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय सेवक के बैण्ड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹ 50,000/-(पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए ।

3/ अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगीं ।

4/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग